वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-20

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

क्रमांक: जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० 4/प्रे. 230 दिनांक 08/03/2001

परिपत्र

विषय:- अकाल की स्थिति के कारण कृषि कनेक्शन
हेतु हरा चारा योजना ।

अकाल की स्थिति को देखते हुऐ, कृषि कनेक्शन हेतु घास-चारा पैदा करने के लिये हरा चारा योजना को दिनांक 30-6-2001 तक पुनः लागु करने का निर्णय आदेश संख्या क्रमांक अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु- /आ०सं० 75/प्रे०सं० 1234 दिनांक 5-12-2000 (कामर्शियल - 12) के तहत जारी किया गया था परन्तु कृषि की विभिन्न श्रेणियों में बकाया कनेक्शनों की संख्या को देखते हुऐ परिपत्र वाणिज्य-15 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया था कि हरा चारा योजनान्तर्गत नए आवेदन अभी नहीं लिये जावे ताकि उपरोक्त बकाया कृषि कनेक्शन दिये जा सके ।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तिय संसाधनों एवं सामान की कमी को देखते हुऐ इस वित्तिय वर्ष में (31 मार्च 2001 तक) केवल उन्ही कृषकों को हरा चारा योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन दिये जाने है जिनके आवेदन के साथ 12000/- रुपये एवं मांग पत्र की राशि भी जमा करवा दी है । तथा जिन कृषि आवेदकों ने आवेदन के साथ मात्र 12000/- रुपये ही जमा करवाये है उनके लिए फिलहाल अग्रिम आदेश जारी होने तक मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही नहीं की जानी है । परन्तु जिन कृषि आवेदकों को मांग पत्र पूर्व में हरा चारा योजनान्तर्गत जारी किये जा चुके है उनके मांग पत्र की राशि जमा करने में किसी प्रकार की रोक नहीं है ।

आज्ञा से

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)